न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 07/2024 GCMS NO – 2024/24

1. बिरधीचन्द रैगर पुत्र स्व0 श्री गग्लया उर्फ गंगाराम पुत्र बाल्या,
2. मूलचन्द पुत्र स्व0 स्व0 श्री गग्लया उर्फ गंगाराम पुत्र बाल्या,
3. गोरधन
4. राजेन्द्र
5. ओमप्रकाश
6. बनवारीलाल
7. कन्हैयालाल

पुत्रा स्व0 कालूराम पुत्र स्व0 श्री गग्लया उर्फ गंगाराम पुत्र बाल्या
निवासीयान रैगरो का मोहल्ला, बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज0

...अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. हनुमान सहाय पुत्र स्व0 घासी पुत्र स्व0 नारायण जाति माली
3. लच्छू पुत्र स्व0 घासी पुत्र स्व0 नारायण जाति माली
   निवासीयान रैगरो का मोहल्ला, बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राजस्थान)।
4. अंकित मालपानी पुत्र श्री परमानन्ददास मालपानी
5. अंजू मालपानी पुत्री श्री परमानन्ददास मालपानी
6. श्रीमती मंजूला मालपानी पत्नी श्री श्री परमानन्ददास मालपानी
   जातियान महाजन माहेश्वरी, निवासीयान मालपानी हाउस फिल्म कॉलोनी, चौडा रास्ता, जयपुर।
7. मैसर्स सतलज फार्मस प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय प्लाट नंबर 111, हास्पिटल मार्ग, सी स्कीम जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण कमांक 58, जो तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर ने दिनांक 26.08.1960 को स्वीकृत कर भूमि साबिक खसरा नंबर 3459 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा बारानी अव्वल वाके ग्राम बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर की खातेदारी गंग्लया वल्द बाल्या, कौम रैगर के स्थान पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत नारायण वल्द भैरू जाति माली के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये।

———————

उपस्थितः–

1. श्री संदीप शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री मनीष पारीक अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 4 व 6 की ओर से ।
3. श्री शिवसिंह चौधरी, श्री महेन्द्र वर्मा अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 7 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 19.01.2026

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार सांगानेर के निर्णय 26.08.1960 जिससे नामान्तरकरण संख्या 58 वाके ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 26.03.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। रेस्पा0 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष पारीक उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवसिंह चौधरी उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 1, 2, 3, 5 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आये। उपतहसीलदार बगरू से अपीलाधीन नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त हुयी जो शामिल मिसल की गयी। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि राजस्व ग्राम बगरू तहसील सांगाने में स्थित भूमि खसरा नंबर 3459 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा बारानी अव्वल की खतौनी बन्दोबस्त जो भू प्रबन्ध द्वारा संवत् 2011 से 2030 से जारी की गई थी, के कॉलम संख्या 3 में इसके भोक्ता का नाम ठाकुर कीरत सिंह तथा कॉलम संख्या 4 में कृषक का नाम गंग्लया वल्द बाल्या कौम रैगर दर्ज था, जिसके कब्जेकाश्त में उक्त भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के समय उक्त भूमि पर गंग्लया वल्द बाल्या कौम रैगर काबिज काश्त था एवं उपरोक्त अधिनियम के लागू होने से उक्त भूमि की खातेदारी विधिवत रूप से उपरोक्त गंग्ल्या वल्द बाल्या कौम रैगर को प्राप्त हो गई थी। हल्का पटवारी ने ग्राम बगरू, तहसील सांगानेर में स्थित भूमि खसरा नंबर 3459 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा का एक नामान्तकरण संख्या 58 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत नारायण वल्द भैरू जाति माली के हक में भरा, जिसके कॉलम 5 में तत्कालीन खातेदार काश्तकार का नाम गंग्लया वल्द बाल्या कॉम रैगर भरा। उपरोक्त नामान्तकरण को तहसीलदार सांगानेर ने दिनांक 26.08.1960 को स्वीकृत कर लिया, जिससे पीडित होकर उपरोक्त अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश किया है। अपीलाधीन नामान्तकरण को भरे जाने से पूर्व अपीलांट के पूर्वज एवं तत्कालीन खातेदार काश्तकार को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण पर पारित आदेश दिनांक 26.08.1960 अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन भूमि के पूर्व खातेदार काश्तकार अपीलांट के पूर्वज स्व0 गंग्ल्या अनुसुचित जाति के सदस्य थे एवं अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 58 के जरिये नारायण वल्द भैरू जाति माली को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदारी प्रदान की गयी जो गैर अनुसूचित जाति माली के सदस्य थे। उपरोक्त अन्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विरूद्ध होने के कारण अवैध व शून्य प्रकृति का है इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत अपीलांट के पूर्वजो को बिना सुनवाई किये खातेदारी अधिकार परिवर्तन नहीं किये जा सकते है। नारायण पुत्र भैरू की मृत्यु होने पर जरिये फौती नामान्तकरण क माध्यम से उनके तीन पुत्रो के नाम अपीलाधीन भूमि की खातेदारी दर्ज कर दी गयी। साबिक खसरा नंबर 3459 के हाल खसरा नंबर 5608, 5622, 5623, 5624 बने। पंजीकृत अंतरण संव्यहार से भूमि हाल खसरा नंबर 5622 रकबा 0.42 किस्म बारानी की खातेदारी रेस्पा0 संख्या 4 लगायत 6 के नाम दर्ज है तथा भूमि हाल खसरा नंबर 5608 रकबा 0.51 है0, खसरा नंबर 5623 रकबा 0.32 है0 खसरा नंबर 5624 रकबा 0.16 हैक्टेयर की खातेदारी रेस्पा0 संख्या 7 के नाम से दर्ज है। गंग्लया वल्द बाल्या रैगर का दिनांक 20.02.2002 को देहावसान हो गया था तथा इनके वारिसान ने अपीलाधीन नामान्तकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट पिटशन नंबर 6758/2005 बउनवानी मूलचन्द बनाम राजस्थान राज्य दायर की एवं माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.11.2005 के द्वारा रिट निस्तारित की गयी। अपीलाधीन नामान्तकरण एब इनिशियों इनलीगल एण्ड वोईड है। ऐसे

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

नामान्तकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए कोई समयावधि विहित नहीं है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद अवधि में शुमार किये जाने योग्य है, जिसे सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः अपील अपीलांट मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 26.08.1960 वाके ग्राम बगरू, तहसील सांगानेर निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलाधी भूमि की खातेदारी स्व0 गंग्लया पुत्र बाल्या कौम रैगर के वारिसान के नाम दर्ज कराई जावे। अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **2023(6)WLC 409 Raj. 2024(1)JCC 702 2021(1)WLC (Raj.) UC 315 2006 RBJ (13) 1, 2006RBJ (13) 127 2002RRT (1) 648, 2015DNJ 437, 2013AIR SC 581** आदि पेश किये गये।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 7 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत उपरोक्त भूमि के खातेदारी अधिकार नारायण वल्द भैरू जाति माली को प्रदान किये गये। रेस्पा0 संख्या 7 द्वारा जरिये रजि0 विक्रय पत्र अपीलाधीन भूमि को नारायण पुत्र भैरू के वारिसान से क्रय की एवं वर्तमान में अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 5608, 5623, 5624 के रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलांट की रिट याचिका दिनांक 16.11.2005 को खारिज की गयी एवं अपीलांट द्वारा सन् 2024 में न्यायालय हाजा में अपील पेश की गयी है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत मात्र विक्रय, दान, वसीयत के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति द्वारा अंतरण किए जाने को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तृतीय संशोधन जो कि दिनांक 01.05.1964 से प्रभाव में आया है, से प्रतिबन्धित किया है जबकि प्रश्नाधीन नामान्तकरण वर्ष 1960 का है, जिसमें विक्रय, दान या वसीयत का प्रश्न अंतर्वलित नहीं है इसलिए प्रश्नाधीन नामान्तकरण में धारा 42 के उल्लंघन नहीं है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को हैरान, परेशान करने के उद्देश्य से अपील पेश की गयी है। अपीलाधीन भूमि से अपीलांट का कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावे। रेस्पाडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **2014(1) RRT 154, 2012(1)RRT 277, 2019RBJ 184, RBJ (14) 2007, AIR 2014 SUPREME COURT 3007, 2019 RBJ 184** आदि पेश किये गये।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 4 व 6 द्वारा अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 7 के सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 5622 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं जरिये रजि0 विक्रय पत्र भूमि क्रय की है। अपीलांट द्वारा गलत

तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील पेश की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 58 वाके ग्राम बगरू, तहसील सांगानेर पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत दर्ज किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 26.08.1960 को नामान्तकरण संख्या 58 नारायण वल्द भैरू जाति माली के हक में तस्दीक किया गया।

अपीलांट द्वारा दिनांक 26.08.1960 को तस्दीक किये गये नामान्तकरण को लगभग 64 वर्ष बाद न्यायालय हाजा में चुनौती दी गयी है इतने वर्षो के विलम्ब के संबंध में कोई ठोस कारण अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन नामान्तकरण के संबंध में रिट याचिका संख्या 6758/2005 बउनवानी मूलचन्द बनाम राज0 सरकार दायर की गयी एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 16.11.2005 को खारिज की गयी। अपीलांट द्वारा उक्त रिट याचिका खारिज किये जाने के लगभग 19 वर्ष बाद न्यायालय हाजा में अपील पेश की गयी है एवं मियाद के बिन्दु पर अपीलांट द्वारा कोई ठोस कारण, न्यायोचित तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। न्याय की यह कभी मंशा नहीं रही है कि किसी भी पक्षकार को उसके जायज हितो से वंचित किया जावे, परन्तु जहां पक्षकार स्वयं अपने हितों के प्रति जागरूक नहीं हो वहां विधि की एक समय सीमा तक ही उसके अधिकारो की सुरक्षा कर सकती है। **Accroding to CIVIL APPEAL No. 6974 of 2013 Basawaraj & Anr vs Lao officer The Law on the issue can be summarized to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the sufficient case. which means an adequate and enough reson which prevented him to approach the court with in limitation.** इसलिए उक्त तथ्यों के आधार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 58 के द्वारा स्व0 नारायण पुत्र भैरू जाति माली को अपीलाधीन भूमि की खातेदारी प्राप्त हुयी एवं स्व0 नारायण के फौत होने पर उनका फौती नामान्तकरण संख्या 1050 दिनांक 20.05.1979 को तस्दीक हुआ। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघंन हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति के सदस्य द्वारा गैर अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जनजाति के सदस्य के पक्ष में सम्पादित विक्रय, भेट या वसीयत शून्य होगी। **According to AIR 2014 Supreme court 3070 and RBJ (14) 2007 The**

restriction on sale of land belonging to Scheduled castes and scheduled tribes to Non scheduled castes and scheduled Tribes is not applicable on the sale prior to 01.05.1964. As the section was amended in 1964 and restriction was imposed w.e.f. 01.05.1964. अपीलाधीन हस्तगत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत अपीलाधीन नामान्तकरण गंग्लया वल्द बाला से नारायण पुत्र भैरू के नाम स्वीकार हुआ है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण किसी विक्रय पत्र, भेट, वसीयत के आधार पर तस्दीक नहीं हुआ है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन दिनांक 01.05.1964 से पूर्व में दिनांक 26.08.1960 को अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक हुआ है इसलिए अपीलाधीन प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टान्तो एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानो का उल्ल्घंन नहीं होना प्रतीत होता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकूक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। अपीलाधीन प्रकरण में नामान्तकरण दिनांक 26.08.1960 को तस्दीक किया गया है एवं स्व0 नारायण के वारिसान द्वारा जरिये रजि0 विक्रय पत्र भूमि का बेचान किया गया एवं वर्तमान जमाबन्दी अनुसार अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 5622 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रेस्पाडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 एवं खसरा नंबर 5608, 5623, 5624 वाके ग्राम बगरू, तहसील सांगानेर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 7 है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों एवं उक्त न्यायिक दृष्टान्तो को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आधार पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर